



2026:AHC:58789

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या
- 2349 सन् 2026

राज कुमार उर्फ राजू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

:

आदित्य यादव, शिवम यादव, उमा यादव

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

:

जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य यादव, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान प्रार्थना-पत्र वाद अपराध संख्या 0028 सन् 2026, धारा 191(2), 190, 223, 126(2), 131, 352, 351(3), 121(1), 132, 324(4) बी.एन.एस., धारा 7 सी.एल.ए. तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8बी, थाना कुरी, जनपद मैनपुरी के अंतर्गत अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की दशा में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एफ.आई.आर. के अनुसार चार नामजद एवं 150 से 200 व्यक्तियों द्वारा मार्ग अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया गया तथा उन दो व्यक्तियों के शव बरामद न होने के विरोध में आंदोलन किया गया, जिनके डूब जाने की बात कही गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई तथा कोई सार्वजनिक संपत्ति क्षतिग्रस्त नहीं हुई। यह भी कहा गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा अन्वेषण अभिकरण अथवा न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, अन्वेषण में सहयोग करेगा तथा जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा।
4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया है।
5. एफ.आई.आर. के अनुसार चार नामजद तथा 150 से 200 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मार्ग अवरुद्ध कर प्रदर्शन

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किया गया तथा उन दो व्यक्तियों के शव बरामद न होने के विरोध में आंदोलन किया गया, जिनके डूब जाने की बात कही गई है। कथित घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई तथा कोई सार्वजनिक संपत्ति क्षतिग्रस्त नहीं हुई।

6. यह उल्लेखनीय है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा महत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि अग्रिम जमानत पर विचार करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, न्याय से पलायन की संभावना तथा अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, और अभियुक्त की विशेष भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. वर्तमान मामले में, अग्रिम जमानत से संबंधित विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त संबंध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

9. आवेदक - राज कुमार उर्फ राजू की गिरफ्तारी की दशा में, उपर्युक्त वाद अपराध में उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन रु. 50,000/- के निजी मुचलके तथा समान धनराशि की दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा छूट प्रदान किए जाने के अतिरिक्त, नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्ण अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में, अभियोजन को यह स्वतंत्रता होगी कि आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण हेतु उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करे।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

19 मार्च, 2025

वीरेंद्र

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"